न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 34/2025

जीसीएमएस नम्बरः–2025/565

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.जलन्धर सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. चरणजीत कौर पत्नी जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3.जसदीप सिंह पुत्र जलन्धर सिंह जटसिख नाबालिग जरिये कुदरतीवली सरपरस्त माता चरणजीत कौर पत्नी जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. गुरदेव सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) एंव उपपंजीयक महोदय श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः–17.12.2025

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री पलविन्द्र सिंह, अप्रार्थी संख्या 1

––निर्णय–– दिनांक :08.01.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनवान जलन्धर सिंह आदि बनाम गुरदेव सिंह आदि प्रकरण संख्या 04/2018 धारा अर्न्तगत 251ए आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 में चक 22 ओ बी तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 में 0.008 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण व किला नम्बर 10, 11, 20, 21 प्रत्येक के पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण 1-1 बिस्वा यानि 0.013-0.013 हैक्टेयर, कुल 0.060 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए थे। इस निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील संख्या 41/2022 अनवान गुरदेव सिंह बनाम जलन्धर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 225 आरटीए पेश की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 07.03.2022 को निरस्त कर प्रकरण इस आदेश के साथ रिमांड किया कि रास्ते के अन्य विकल्प पर विचार करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।
2. माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से प्रकरण रिमांड होने पर प्रकरण नए नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए।
3. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत बाघ सिंह बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2016(1)आर.आर.टी 649, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर गिरदावरी आदि बनाम सुल्तान आदि 2017(1)आर.आर.टी 423, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण चक 22 ओ बी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 69/68 के मुरब्बा नम्बर 9, 50/2 की कुल 3.630 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि में से 2.530 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा मुरब्बा नम्बर 4 के

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 तक पहुचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 11.11.2025 की पालना में रास्ते के अन्य विकल्पों पर विचार किया गया। प्रार्थीगण को अपनी खातेदार भूमि में जाने के लिए कोई अभिलिखित रास्ता विद्यमान नहीं है। उक्त रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यतिंक आवश्यकता है। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा दर्ज आपत्तियां निराधार एंव सारहीन होने से अस्वीकार्य है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 22 ओ बी तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 में 0.008 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण व किला नम्बर 10, 11, 20, 21 प्रत्येक के पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण 1-1 बिस्वा यानि 0.013-0.013 हैक्टेयर, कुल 0.060 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.060 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी गुरदेव सिंह पुत्र कर्म सिंह को 0.060 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थीगण अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 व 2 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2026/11

दिनांक :-08.01.2026

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 34/2025 अनवान जलन्धर सिंह आदि बनाम गुरदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मे पारित **निर्णय दिनांक 08.01.2026 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 08.01.2026 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 22 ओ बी तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 में 0.008 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण व किला नम्बर 10, 11, 20, 21 प्रत्येक के पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण 1-1 बिस्वा यानि 0.013-0.013 हैक्टेयर, कुल 0.060 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.060 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी गुरदेव सिंह पुत्र कर्म सिंह को 0.060 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थीगण अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 व 2 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)